उपसभाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए संसद की स्थायी समिति की हाल ही में प्रकाशित 29वीं रिपोर्ट इसी हकीकत को बयान करती है कि रतिलाल कालिदास वर्मा की अगुवाई में कायम प्रस्तुत कमिटी में इन प्रमाण-पत्रों को जारी करने में बरती जा रही गंभीर खामियों पर चिंता जाहिर की गई है। कमिटी का यह भी कहना है कि ऐसे फर्जी दलितों या नकली आदिवासियों ने IAS जैसे शीर्ष पदों पर भी कब्जा जमाया है। उसके मुताबिक इस वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के वास्तविक हकदारों को रोजगार, शिक्षण संस्थानों और सरकारी योजनाओं में वाजिब हक नहीं मिल रहा है। यह सीधे-सीधे अपराध है। गौरतलब है कि कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय द्वारा जो सूचनाएं कमेटी को उपलब्ध की गईं, उनके मुताबिक जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर रोज़गार हासिल करने के 268 मामले CBI की जानकारी में हैं, जिनमें से दो मामले तो IAS अधिकारियों से ताल्लुक रखते हैं।

अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र की विकराल होती समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, श्री के. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने एक अहम व्यवस्था देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए फर्जी अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रमाण पत्र जमा करता है, तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है।

जहां तक अनुसूचित जाति-जनजाति कमीशन की रिपोर्टों का सवाल है, वे जाति संबंधी झूठे प्रमाण पत्रों की समस्या पर बार-बार रोशनी डालती हैं। हाल की दो रिपोर्टों में तो उल्लेख किया गया था कि झुठे प्रमाणपत्रों की समस्या के व्यापक प्रसार से चिंतित होकर कमीशन ने वर्ष 1996 में कई राज्यों में विशेष तथ्य संग्रह किया था। यूं तो सत्तर के दशक के मध्य में ही फाइलों में चिंता उजागर होती दिखती है, लेकिन एक परिघटना के तौर पर नज़र डालें, तो 90 के दशक में इसने जोर पकड़ा है।

यह अकारण नहीं है कि अनुसूचित जाति-जनजाति के हितों की देखरेख के लिए बने राष्ट्रीय आयोग ने इस सिलसिले में सरकार को लगातार आगाह किया है और फर्जी प्रमाण पत्रों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सरकार के पास विस्तृत सुझाव भेजे हैं।

अतः मेरा आग्रह है कि सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रमाण पत्रों में बरती जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाए।

डा. नारायण सिंह मानकलाव (नाम निर्देशित) : मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री भागीरथी माझी (उड़ीसा) : मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

Concern over non-acceptance of scheduled castes/scheduled tribes certificates by the Central Government organisations in Madhya Pradesh

सुश्री अनुसुइया उइके (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार के कार्यालय, बैंक, रक्षा संस्थान द्वारा जिला प्रशासन द्वारा जारी SC-ST के प्रमाण पत्रों को स्वीकार न करने के संबंध में इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन एवं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि SC-ST के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करना राज्य सरकारों का दायित्व है तथा इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रावधान किया गया है, उसके तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जो कि सब-डिवीजन में दण्डाधिकारी की शक्ति से संपन्न होते हैं, के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने पर सभी वर्गों के व्यक्तियों को केवल निर्धारित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, जिसकी मान्यता सभी विभागों में होती है।

फर्जी जाति प्रमाण-पत्र जारी न हों, इसके लिए निर्धारित प्रपत्र तथा प्रक्रिया है। प्रमाण पत्र निर्धारित गुलाबी रंग के कागज पर न्यायालय की मुहर के साथ ही जारी किया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी करना प्रतिबंधित किया गया है।

मध्य प्रदेश में जबलपुर तथा अन्य सभी स्थानों पर केन्द्र सरकार के रक्षा संस्थान, बैंक, रेलवे व अन्य केन्द्रीय कार्यालयों द्वारा आवेदकों से स्वयं के प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है, जो कि नियम के विरुद्ध है तथा निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी करना भी गैर-कानूनी माना गया है।

जबलपुर में उक्त संस्थानों द्वारा अपने प्रपत्र में प्रमाण-पत्र की मांग करने पर मजबूर होकर जिला दण्डाधिकारी को आदेश जारी करना पड़ा कि यदि मध्य प्रदेश शासन के निर्धारित प्रपत्र के अलावा यदि किसी अन्य प्रपत्र में कोई भी संस्थान प्रमाण पत्र की मांग करता है, तो वह ST-ST अत्याचार अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दंड का भागी होगा।

अतएव मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार अपने कार्यालयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करे।

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि (राजस्थान) : मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री भागीरथी माझी (उड़ीसा) : मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

Demand to take measures to enhance generation capacity of thermal power plants in Tamil Nadu

SHRI A. ELAVARASAN (Tamil Nadu): Sir, I would like to bring to the notice of the Government the unprecedented power cut existing in Tamil Nadu, which has caused severe negative impact on textiles and industries. Indian industries have suffered a massive loss of over Rs. 43,000 crore in the recently concluded financial year, due to non-availability and mismanagement of power. Particularly, the textile industry in Tamil Nadu has been passing through unprecedented crisis due to acute power shortage for the last couple of years. The textile industry in Tamil Nadu accounts for l/3rd of the textile size and 50 per cent of the spinning capacity in the country, providing jobs for over 10 million people, directly and indirectly and fetching foreign exchange to the tune of Rs. 30,000 crores. During the years between 2001-2006, spinning mills in Tamil Nadu were running round the clock and were busy expanding their operational capacities. Presently, a major part of the spinning mills which involves in manufacturing yarn remains idle. Several units are closing down, putting the jobs of thousands of the workers into jeopardy and many others have not received their wages for months. 392 mills were closed during the previous year, leaving more than 2 lakh workers jobless. Due to the ongoing continuous power crisis, mills are running only on 55 per cent of their production capacity, resulting in huge cuts in production and widespread lay-offs.

Therefore, I urge the Government to immediately initiate war-time steps to enhance the production capacity of existing thermal power stations and introduce new projects in Tamil Nadu, Thank you, Sir.

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Sir, I would like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.